

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिकप्रकरण कमांक-423 / 14
संस्थापित दिनांक 11 / 07 / 14
फाईलिंग नम्बर 233504000742014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

भीम पिता सुनेहरी, उम्र 26 वर्ष,
 जाति मेहरा, पेशा कृषि, नि० ग्राम डोडावानी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----- अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-07 / 01 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 22/05/14 समय 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम डोडावानी प्रार्थीया का मकान, थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी श्रीमती नमिताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया, फरियादी श्रीमति नमिताबाई को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19/05/14 दिन सोमवार को उसे उसके पिता प्रभु जगदेवा के घर ग्राम सेमरिया में उसके देवर हरीश के साथ जाकर इलाज कराने छोड़ आयी थी। दिनांक 22/05/14 को सुबह 8:00 बजे करीब उसके पिता प्रभु बसदेवा का फोन आया कि लडकी रूपाबाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है तो उसने उसके पति भीम बिसन्द्रे को बोला कि चलो लडकी रूपाबाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई इलाज कराने सेमरिया खुर्द चलना है तो उसके पति उस पर नाराज हो गये और उसे मादर चोद बहन चोद की गालियाँ देकर जाने से मना किया और हाथ मुक्का से गाल, नाक पर तथा पेट पर लात मारा जो नाक से खून निकलने लगा। उसका पति भीम बोला कि यह बात अपने माता पिता से बताया तो जान से खतम कर दूंगा। उसके ससुर सुनेरी ने फोन पर उसके पिता को घटना की बात बताई तो उसके पिता प्रभु जगदेव तथा माँ तुलसबाई घर आये जिनको घटना की बात बताई।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप०कं०- 353 / 14 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० धारा-294, 323, 506 के

तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 23.05.14 को नक्शा मौका प्र०पी० 2 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या आपने दिनांक 22/05/14 समय 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम डोडावानी प्रार्थीया का मकान, थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी श्रीमती नमिताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती नमिताबाई को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?”

3— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :- विचारणीय प्रश्न क० 2 का निराकरण

6— अभियोजन नमिताबाई (अ०सा००२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके पिता प्रभु जनदेव का फोन आया कि लड़की रक्षा की तबियत ज्यादा खराब हो गई उसने उसके पति भीम को बोला कि चलो रक्षाबाई की तबियत ज्यादा खराब हो गई इलाज कराने को सेमरिया खुर्द चलना है तो उसके पति भीम उस पर नाराज हो गये और उसे हाथ मुक्कों से मारपीट किया जिससे उसे खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना आमला में की थी जो प्र०पी० 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई थी, घटना का नक्शा मौका प्र०पी० 2 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

7— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि अगर आरोपी उसकी पुत्री का इलाज कराने उसके साथ सेमरिया चला जाता तो वह उसकी रिपोर्ट नहीं करती। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि आरोपी ने उसे मारा और मारकर भाग गया। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त भीम के द्वारा फरियादी को हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति करित की।

8— अभियोजन साक्षी प्रभु (अ०सा००१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने आधा घंटे बाद फोन लगाया तो भीम के पिता ने फोन उठाया और कहा कि आप जल्दी 2-4 लोगों को लेकर आओ तो वह अकेला ही भीम के घर पहुंचा तो वहां उसी लड़की नमिता बेहोश पड़ी थी, पूछने पर उसने बताया कि उसके पति भीम ने क्यों फोन लगाने पर

बात को लेकर लगातार मारपीट की और गाली गलौच की है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि सुनेहरी ने फोन पर उसे डोडावानी बुलाया था तब वह अकेली ही डोडावानी पहुँचा तो उसकी लड़की नमिता बिस्तर में बेहोश पड़ी थी। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि भीम ने नमिता के साथ मारपीट की थी। क्योंकि इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में जो बताया है कि उसकी लड़की ने मारपीट करने के संबंध में बताया था तो इस गवाह ने बिस्तर में बेहोश पड़ी देखा जो कि घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट करती है।

9— अभियोजन साक्षी तुलसबाई (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि सुनेहरी ने उसे फोन पर बताया कि नमिताबाई बहु को भी मारपीट की है। नमिताबाई ने भीम को बोला कि उसकी लड़की रक्षाबाई की तबीयत खराब है। उसको इलाज कराने आमला ले जाना है। इसी बात की गुस्सा होकर नमिता को हाथ मुक्का पेट पर मारा है जो बेहोश होकर गिर गई। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में व्यक्त किया है कि उसके पति ने उसे फोन लगाया और गाड़ी लेकर आ जाओ गाड़ी लेकर गये तो उसकी लड़की बेहोश पड़ी थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने नमिता के साथ कोई मारपीट नहीं की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस गवाह ने आहत नमिता को जो आरोपी के द्वारा मारपीट किया गया, उक्त मारपीट को इस गवाह ने देखा और इस गवाह के द्वारा आहत के माता पिता को भी सूचना दी गई जो कि अभियुक्त भीम के द्वारा हाथ मुक्कों से मारपीट करने के तथ्य स्पष्ट होते हैं।

10— अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ0सा05) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 25/05/16 को श्रीमति नमिता पति भीम नि० डोडावानी का परीक्षण किया जिसमें चोट क्रं. 1 नाक के उपर 3 गुणित 2 से०मी० आकर का सूजन एवं दर्द पाया था इसके साथ-साथ उसे पेट में दर्द था और उसे 7 महीना की गर्भवती थी। उसके लिए उसने पेट की सोनोग्राफी की सलाह दी थी। उक्त चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि फ्रेश थी। चोट नं. 1 साधारण किस्म की थी। चोट नं. 2 के प्रकृति सोनोग्राफी के परिणाम पर निर्भर थी। मेरी रिपोर्ट प्र०पी० 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि पेट में दर्द एसी.डी.टी. की वजह से हो सकती है चोट नं. 1 नाक की बल गिरने से आना संभव है। किन्तु उक्त सूझाव फरियादी नमिता की प्रतिपरीक्षा में नहीं दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त के द्वारा मारपीट करने से फरियादी नमिता के नाक में चोट कारित नहीं हुई बल्कि इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त भीम के द्वारा आहत नमिता को हाथ मुक्कों से मारपीट करने से ही उसके शरीर पर चोट कारित हुई जो कि घटना से ही चोट आने के तथ्य की पुष्टि होती है।

11— अभियोजन साक्षी गोविन्दराव कोलेकर (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 23/05/14 को केश डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर उसने घटना स्थल पर जाकर प्रार्थीया नमिता के निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्र०पी०2 तैयार किया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने प्रार्थीया नमिता गवाह सुनेहरी, प्रभु, तुलसबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने उपनिरीक्षक टी०आर० धुर्वे के साथ 2 साल तक काम किया है। वह उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से भली भाँति परिचित है। वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में संलग्न प्र०पी० 1 के प्रथम सूचना रिपोर्ट उनकी हस्तलिपि में है जिसके बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में गिर० की कार्यवाही ए०एस०आई० द्वारा की गई है गिर० पत्रक

प्र० पी० 3 है जिसके ए से ए भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह अस्वीकार किया है कि उसने घटना का नक्शा मौका थाने में बैठकर बनाया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने घटना का नक्शा मौका किसी की निशानदेही पर नहीं बनाया। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने साक्षी नमिता, प्रभु और तुलसबाई के बयान थाने में बैठकर उसके मन से लेख की थी। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा घटना नक्शा मौका प्र० पी० 2 को अपनी साक्ष्य से सत्यापित किया है और गवाहों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए हैं। साथ ही उपनिरीक्षक टी० आर धुर्वे के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है जिसे फरियादी नमिता (अ० सा० 2) ने अपनी साक्ष्य से सत्यापित किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन करती है।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी श्रीमति नमिताबाई को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 2 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं 1 व 3 का निराकरण

13— अभियोजन साक्षी नमिता (अ० सा० 2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे मादर चोद बहन चोद की गंदी-गंदी गालियाँ देकर जाने से मना किया। उक्त गालियाँ अश्लीलता प्रगट नहीं करती हैं क्योंकि मादर चोद बहन की गाली लोकाचार की भाषा में कही जाती है। उक्त गालियाँ को अश्लीलता नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई गालियाँ अश्लीलता प्रगट करती थी जिसके कारण फरियादी को क्षोभ कारित हुआ। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

14— अभियोजन साक्षी नमिता (अ० सा० 2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि भीम ने कहा कि उसने उसके माता पिता को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। लेकिन उक्त गवाह की साक्ष्य से आगे यह प्रगट नहीं है कि उक्त धमकी का प्रभाव फरियादी पर पड़ा हो, इस प्रकार के भी कोई तथ्य नहीं है जिनसे यह प्रगट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई धमकी वास्तविक थी आपराधिक अभित्रास के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शाब्दिक धमकी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार के तथ्य व परिस्थिति प्रकट होने चाहिए जिससे यह आशय निकले की अभियुक्त की धमकी वास्तविक थी और फरियादी उस धमकी से प्रभावित हुआ था और उस धमकी का असर उस पर पड़ा और उसके मन में यह आंशका उत्पन्न हो गई कि कलियुग उसकी जान के लिए खतरनाक के लिए कोई आपराधिक कृत्य कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से धारा 506 भाग-2 के लिए आवश्यक तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। उक्तानुसार विचारणीय प्रश्न क्रं 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

15— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी श्रीमति नमिताबाई को हाथ मुक्का से

मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित है कि अभियुक्त ने लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी श्रीमती नमिताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी अप्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त भीम को भा०द०वि० की धारा-294 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु भा०द०वि० की धारा 323 का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त भीम को दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आमला, जिला बैतूल म०प्र०

16— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रोशन बेल्ले ने व्यक्त किया कि फरियादी नमिता अभियुक्त भीम की पत्नी है और उन दोनों से उत्पन्न संतान एक पुत्री एवं पुत्र है। उसका यह प्रथम अपराध है उसके जेल जाने से उसकी पत्नी फरियादी नमिता एवं उसके बच्चों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा और अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 3 साल विचारण किया गया है। वह उसकी पत्नी को एवं बच्चों को आज दिनांक से ही साथ में ले जा रहा है। अतः अभियुक्त को कारावास से दंडित न करते हुये कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

17— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी श्रीमति नमिताबाई को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की है। फरियादी श्रीमति नमिता अभियुक्त पत्नी है और उनसे उत्पन्न संतान एक पुत्र एवं एक पुत्री है। वह उसकी पत्नी को एवं बच्चों को आज दिनांक से ही साथ में ले जा रहा है। उसका यह प्रथम अपराध है। उसके जेल जाने से फरियादी श्रीमति नमिता एवं अभियुक्त के बीच रिश्ते टूटने से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये एवं उसके विरुद्ध प्रकरण लगभग 3 वर्ष विचारण में भाग लेते रहा है। अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः अभियुक्त भीम को भा०द०वि० की धारा 323 के अपराध के आरोप में 200/- (दो सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 (एक) माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

18— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत कुल राशि 200/- रुपये में से फरियादी नमिता को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 100/- रुपये की

राशि प्रदान की जावे, शेष राशि राजशात की जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।
निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया
गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०